

**भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन
की अधिसूचना**

अधिसूचना क्रमांक 15074-12523-64 दिनांक 17 दिसम्बर 1964 - भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) की धारा 4 में दी गई शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि उस भूमि को जिसकी सीमाएं और स्थिति नीचे दी गई है आरक्षित वन का गठन करेगी ।

उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार श्री डोंगर सिंह, उप जिलाध्यक्ष को वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त करती है ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परिक्षेत्र (रेंज)	पी० सी. खंड का आर.आई० मे न. सर्कल की संख्य	खंड का नाम	क्षेत्र एकड़ में	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7
मंदसौर	मल्हारगढ़	नीमच	एक 19	बरखेड़ा जयसिंह	540	उत्तर- ग्राम बरखेड़ा के क्रमशः पी० न० 17 के 10 कट लाइन । पूर्व कट लाइन पी. नं० 8 ग्राम गोंकरपुर । दक्षिण- कट लाइन पी० नं० म् से 1 और 24 से 22 क्रमशः ग्रामगोगरापूरा, पोथाबेड़ी और गयेड़ा जय सिंह पश्चिम-ग्राम बरखेड़ा जयसिंह की पी० नं० 22 से 17को कट लाइन । उत्तर-
मंदसौर	मंदसौर	नीमच	एक 19	बरदल	311- 45	ग्राम बरदल के पी० नं० 30 हे 1 से 138 से कट लाइन । वो-पी० नं. 130से 90 से सीमाकित कट लाइन। दक्षिण-ग्राम बुगलियां, जरा, घाटा-वोडा और रेवा से क्रमशः पी० नं० 9 से 55 से सीमांकित कट साइन । पश्चिम-क्रमशः ग्राम नागवा और मुन्द-केसा के पी.नं० 55 से कितकट लाइन । उत्तर-
मंदसौर	जावद	बलगमद	दो 2	तारोली	261- 00	राजस्थान की सीमा । पूर्व-राजस्थान की सीमा । दक्षिण-राजस्थान मध्यप्रदेश की सीमा पी० नं० 1 तक की कट लाइन ।

						पश्चिम-ग्राम तरेली की पी०नं०1 से 10से सीमांकित कट लाइन । उत्तर-
मंदसौर	सीतामऊ	नीमच	एक 21	ऐरा	1024-71	क्रमशः आम यमपुर और क्षेत्र के पी.नं०1 से 61- 60 से सीमां कितकठ लाइन । पूर्व क्रमशः : ग्राम चिकला और पेरा के पी. नं 60से 42 से सीमांकितकट लाइन दक्षिण-ग्राम चिकला की पी० नं ०42 25 से सीमांकित कट लाइन ।पश्चिम-ग्राम मालारन राजे और करजामपुर के पी ० नं०25से1 सीमांकित कट लाइन ।